

प्रेषक

सुनील श्री पांथरी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 09 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-339लेखा-पुनर्विनियोग/2017-18, दिनांक 15 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2051-लोक सेवा आयोग-102-राज्य लोक सेवा आयोग-03-राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत मानक मद संख्या-01-वेतन तथा मानक मद संख्या-16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में उपलब्ध बचतों में से विभिन्न मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार कुल धनराशि ₹ 97.00 लाख (रूपये सत्तान्धे लाख मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि में से कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी राशि के व्यय की वास्तविक आवश्यकता है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2051-लोक सेवा आयोग-102-राज्य लोक सेवा आयोग-03-राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में से संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-12 भारित/XXVII(5)/2017-18, दिनांक 05-03-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- उक्त स्वीकृति संलग्न कम्प्यूटर अलॉटमेंट आई0डी0-S1803090073, दिनांक 08-03-2018 के अन्तर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या- १। /XXX(4)/2018-02(11)/2017, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, वित्तीय डाटा सेन्टर, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(हेमा पाण्डे)

अनु सचिव